संख्या- 02/2021/1395/बयालिस-2021-21(बजट)/2017

प्रेषक,

कल्पना अवस्थी,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश ।

खेल अनुभाग **लखनऊ : दिनांक : 25 अगस्त, 2021**

विषय :- रू0 5.00 करोड़ तक की लागत की योजनाओं/परियोजनाओं के प्रस्तावों/आगणनों का मूल्यांकन (अप्रेजल) एवं औचित्य का परीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग- 2 के शासनादेश संख्या- 19/ 2015/बी-2-2973/दस-2015-10-77, दिनांक 19 अक्टूबर, 2015 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा रू0 5.00 करोड़ तक की लागत की योजनाओं/परियोजनाओं के प्रस्तावों/आगणनों का मूल्यांकन (अप्रेजल) एवं औचित्य का परीक्षण प्रशासकीय विभाग द्वारा किये जाने के निर्देश दिये गये है ।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि खेल विभाग में कोई सहायक अभियन्ता अथवा एक्सपर्ट तैनात नहीं है। अत: शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त 0 5.00 करोड़ तक की लागत की योजनाओं/परियोजनाओं के प्रस्तावों/आगणनों का मूल्यांकन (अप्रेजल) एवं औचित्य का परीक्षण हेतु जिलाधिकारी के स्तर पर एक समिति के गठन का निर्णय लिया गया है। जिलाधिकारी स्तर पर गठन समिति निम्नवत् होगी :-

(1)- सम्बन्धित जनपद के लोक निर्माण विभाग का अधीक्षण अभियन्ता।

(2)- प्रायोजना प्रस्ताव/ आगणन तैयार करने वाली संस्था का अधीक्षण अभियन्ता।

(3)- जिलाधिकारी द्वारा नामित अपर जिलाधिकारी।

(4)- उपरोक्तानुसार गठित समिति द्वारा रू0 5.00 करोड़ तक की लागत की योजनाओं/परियोजनाओं के प्रस्तावों/आगणनों का मूल्यांकन (अप्रेजल) एवं औचित्य का परीक्षण कर प्रस्ताव निदेशक, खेल के माध्यम से शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

भवदीया,

कल्पना अवस्थी
प्रमुख सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या- 1395(1)/बयालिस-2021-तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1)- प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।

(2)- समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।

(3)- निदेशक, खेल, खेल निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।

(4)- समस्त क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी/क्रीड़ा अधिकारी, खेल विभाग, उ0प्र0 (निदेशक, खेल द्वारा) मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

(5)- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम, उ0प्र0 प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि0, उ0प्र0 राज्य निर्माण सहकारी संघ लि0, सी0एण्ड डी0 एस0 (उ0प्र0 जल निगम), सिंचाई विभाग, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, उ0प्र0 समाज कल्याण निर्माण निगम विभाग, लखनऊ।

(6)- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(भूपेन्द्र बहादुर सिंह)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।